न्यायालय—ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रक0क्र0-705/2010

संस्थित दिनाँक-15.11.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मी जिला—मिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद

फरार— 1. मनोज पुत्र रामनाथिसंह यादव उम्र 26 साल निवासी पोखर का पुरा मौजा कचनाव थाना पावई जिला भिण्ड म०प्र0

> संतोष उर्फ फककड़ पुत्र ब्रजमोहन शर्मा उम्र 33 साल निवासी देहगांव थाना गोहद जिला मिण्ड म0प्र0


...अमियुक्त

–ः निर्णय<u>ः</u>–

(आज दिनांक 18.04.2017 को घोषित)

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की घारा 25—(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.10.10 को ग्राम देहगांव पर अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में दो 315 बोर के जीवित कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया।

- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि सह अभियुक्त मनोज के फरार होने से यह निर्णय केवल उपस्थित अमियुक्त संतोष के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ में पदस्थ थाना प्रभारी जे0आर0 जुमनानी को दिनांक 17.10.10 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अप0क0—104/10 में फरार अभियुक्त संतोष अपने एक अन्य साथी के साथ 315 बोर का कट्टा लिए किसी वारदात को करने की फिराक में देहगांव में आया है। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा में दर्जकर हमराह फोर्स जाहरसिंह, आरक्षक गुरूदास, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक मनोज, आरक्षक तेजिसह के साथ शाम 5 बजे रवाना होकर देहगांव पहुंचे। वहां मुखबिर से संपर्क कर पता चला कि अभियुक्त अपने अन्य साथी के साथ मोबाईल फोन के टॉवर से हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल से उझावल तरफ गया है। तब थाना प्रमारी बताए स्थान उझावल रोड पर आए वहां गांव तरफ से एक मोटरसाईकिल आती दिखी जिसे घेराबंदी कर देहगांव स्कूल के पास पकडा। उसका चालक भागने की कोशिश कर रहा था तो मौके पर पकडा, नाम पूछने पर अपना नाम अभियुक्त संतोष उर्फ फक्कड बताया। उसके साथ अन्य




अभियुक्त मनोज भी था। तलाशी लेने पर अभियुक्त संतोष की पैंट की जेब से दो जिंदा कारतूस मिले तथा अभियुक्त मनोज के कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला जिसमें एक जिंदा कारतूस लगा था। अभियुक्त संतोष से एक मोटरसाईकिल व अभियुक्त मनोज से एक मोबाईल भी मिला था जिन्हें विधिवत जब्तकर जब्ती पत्रक तैयार किया, अभियुक्त को गिरा पत्रक तैयार किया। थाने पर वापस आकर अप0क0—125/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। जब्तशुदा कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की घारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं --
 - क्या अमियुक्त दिनांक 17.10.10 को ग्राम देहगांव पर अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में दो
 बोर के जीवित कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अमियोजन की ओर से प्रकरण में सुरेश दुबे अ०सा० 1, योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2, गुरूदास सिंह सोही अ०सा० 3, मुखत्यार अ०सा० 4, जे०आर० जुमनानी अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अमियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।
- 7. प्रकरण में जब्दीकर्ता अधिकारी जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.10.10 को वे थाना मौ में थाना प्रमारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें जर्ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अप0क0—104/10 घारा 376, 342, 506 मादिवि में फरार अमियुक्त संतोष शर्मा उर्फ फक्कड अपने एक अन्य साथी के साथ 315 बोर का कट्टा लिए किसी वारदात की फिराक में देहगांव में मौजूद है। उक्त सूचना से थाने से हमराह फोर्स के साथ शासकीय वाहन से एक मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर से मालूम हुआ कि अमियुक्त संतोष अपने साथी फोन के टॉवर की तरफ से हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल एम०पी0—07 डी0—9212 से उझावल तरफ गया है जहां रोड पर आकर शासकीय स्कूल तरफ से एक मोटरसाईकिल आती दिखी जिसे हमराह फोर्स के साथ घेरा बंदी कर समक्ष गवाहान सलीम और मुखत्यार खां के साथ मोटरसाईकिल रोककर अमियुक्तगण को पकडा था, मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम संतोष शर्मा तथा पीछे बैठे लडक ने अपना नाम मनोजिसेंह यादव बताया। उनकी समक्ष गवाहान तलाशी लिए जाने के संबंध में पंचनामा प्र0पी0 3




बनाए जाने का कथन करते हैं जिसमें साक्षी अपनी तलाशी दिए जाने तथा उसके संबंध में पंचनामा तैयार करना बताते हैं। प्र0पी0 3 के पंचनामे में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों का कथन करते हैं।

- 8. जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 5 प्र0पी0 3 के पंचनामा के पश्चात् अमियुक्त संतोष की तलाशी लेने पर उसके पेंट की जेब से दो 315 बोर के पीतल के कारतूस जब्दा किए जाने का कथन करते हैं। जब्दी पत्रक प्र0पी0 4 अनुसार अभियुक्त के आधिपत्य से दो जिंदा कारतूस पीतल के 315 बोर के जिनकी पैंदी पर केएफ8एमएम लेख था, जब्दा होना बताते हैं। साक्षी प्र0पी0 4 के जब्दी पत्रक में कारतूस के अतिरिक्त एक मोटरसाईकिल एम0पी0-07-9212 को जब्दा किए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त के गिर0 पत्रक प्र0पी0 6 के रूप में प्रमाणित करते हैं और प्रपी0 4 व 6 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् घटनास्थल पर देहाती नालिसी प्रपी0 9 लेख किए जाने का कथन करते हुए उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं तथा थाना वापसी पर रोजनामचा की प्रति प्र0पी0 10 पर प्रविष्टि दर्ज करने का कथन करते हुए उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
- 9. प्रकरण में प्र0पी0 4 के जब्ती पत्रक के साक्षी सलीम खां तथा मुखत्यार खां हैं जिसमें से सलीम खां की मृत्यु हो जाने से उसे परीक्षित नहीं कराया गया है जबिक मुखत्यार खां को अ0सा0 4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जो अपने अमिसाक्ष्य में न तो अमियुक्त को पहचानना बताता है और न हीं उसके सामने पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने का कथन करता है। प्र0पी0 3 लगायत 6 पर साक्षी के हस्ताक्षर न होकर अंगूठा निशानी हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर उससे सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षी द्वारा दिनांक 17.10.10 को अमियुक्त संतोष के आधिपत्य से मोटरसाईकिल एमपी0—07—9212 एवं कथित 315 बोर के दो कारतूस जब्त किए जाने के सुझाव से इंकार करता है। अमियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पुलिस साक्षियों के अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना की पुष्टि नहीं की गयी है ऐसे में उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।
- 10. प्रकरण में मात्र पुलिस साक्षियों द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से जब्ती का कथन किया है। गुरूदास सोही अ0सा0 3 के जब्ती पत्रक पर यद्यपि हस्ताक्षर नहीं हैं किन्तु इस साक्षी को हमराह फोर्स ले जाने का कथन जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा किया गया है। यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुए अभियुक्त के पास से मोटरसाईकिल एमपी0-07 डी0-9212 तथा दो 315 बोर के जिंदा कारतूस प्राप्त होने तथा एक अभियुक्त से कमर में खुरसा हुआ 315 बोर का लोडेड कट्टा एवं मोबाईल जब्त होने का कथन करते हैं। दाण्डिक विधि के अधीन ऐसा कोई साक्ष्य का नियम नहीं हैं कि पुलिस साक्षी का साक्ष्य होने से वह अविश्वसनीय हो जाता है अथवा उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी एक सामान्य साक्षी की मांति विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

१८ प्राप्ता १० कर ग्रेप्ता गायिक मजिस्टेट प्रथम श्राणी गोटा जिला किएड प्रथम

- 11. न्यायनिर्णय— राजाखिरना विरूद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज
 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य
 किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को
 अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टात— मदन सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य ए
 आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाया सदाशिव नन्दोस्कर विरूद्ध
 महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए
 आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धात परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के
 कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला
 बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस
 अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थित में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती
 है।
 - 12. इस प्रकार से प्रकरण में पुलिस किमयों के साक्ष्य में ऐसी कोई भी विसंगति या पिरिस्थित उल्लेखित नहीं हुई जिससे कि अभियुक्त के विरुद्ध जब्दीकर्ता अधिकारी के द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने व साक्षियों द्वारा असत्य रूप से समर्थन किए जाने का युक्तियुक्त आधार हो। प्रकरण में जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 5 द्वारा दिनांक 17.10.10 को अभियुक्त के आधिपत्य से शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम देहगांव के पास दो जिंदा कारतूस जब्दा किये जाने के अतिरिक्त मोटरसाईकिल एम0पी0—07—9212 भी जब्दा की है। जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 5 द्वारा मौके पर जब्दी कर जब्दी पत्रक मय माल के सीलबंद कर तैयार किए जाने का कथन किया है। आर्टीकल ए 1 व ए 2 के कारतूस अमियुक्त से जब्दा होना बताए हैं जो कि साक्ष्य के समय प्रस्तुत किए गए थे। अमियुक्त की ओर से यह बचाव लिया है कि वह अन्य अपराध में वांछित था और हाजिर हुआ था इस कारण से झूंटा अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से उसके अभिक्थित अपराध में समर्पित होने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। साथ ही जब्दीकर्ता जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 5 के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई बात प्रकट नहीं हुई जिससे कि उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास का कोई आधार उत्पन्न होता हो।
 - 13. सुरेश दुबे अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 29.10.10 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के रूप में पदस्थ होकर संबंधित अपराध के कट्टा एवं कारतूस जांच हेतु प्राप्त होने पर कट्टा फायर योग्य एवं कारतूस फायर योग्य होने के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना बताते हैं, जांच रिपोर्ट प्रपी० 1 के रूप में बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई भी युक्तियुक्त आधार परिलक्षित नहीं हैं। योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 02.11.10 को संबंधित



अपराध की केस डायरी मय सीलबंद शस्त्र प्रस्तुत करने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी रिघुराज राजेन्द्रन द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने का कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 2 बताकर उसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी तथा बी से बी भाग पर स्वयं के लघु हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। इस साक्षी से मी प्रतिपरीक्षण में कोई मी विरोधामासी अथवा विश्वसनीय तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। उक्त साक्षीगण के अभियुक्गण के विरुद्ध कथन किए जाने का कोई भी युक्तियुक्त बचाव का आधार नहीं हैं। योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2 का कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन हस्तलेख व हस्ताक्षर से परिचित साक्षी की अमिसाक्ष्य के रूप में अविश्वास का कोई आधार न होने से विधिवत रूप से प्रमाणित है।

- 14. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अमियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अमियुक्त दिनांक 17.10.10 को ग्राम देहगांव पर अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में दो 315 बोर के जीवित कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया। अतः अमियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1—बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।
- 15. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं, उसे अभिरक्षा में लिया जावे।
- 16. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाम दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

न्यायिक मिजस्टे ट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्चः

- 17. अमियुक्त एवं उनके विद्ववान अमिमाषक को सुना गया। उन्होंने अमियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अमियुक्त के नवयुवक एवं ग्रामीण मजदूर होने के आधार पर उसे कम से कम दण्ड से दिण्डत किए जाने का निवेदन किया है। अमियोजन को भी सुना गया।
- 18. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 33 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक

गायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रणी

स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त संतोष को अधिनियम की धारा 25—(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकृम की दशा में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

- 19. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति का निराकरण सह अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसके निर्णय के समय किया जावेगा।
- 20. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।
- 21. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

ए०क० गुप्ता द्वित न्यायिक मजिस्ट्रेट् प्रथम श्रेणी क्विति न्यायिक मजिस्ट्रेट् प्रथम श्रेणी क्विति गोहद जिला मिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम स्रेणी गोहद जिला मिण्ड मध्यप्रदेश